



सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सेवा में,

कुलसचिव जी
सं0सं0वि0वि0, वाराणसी

महोदय,

शासन के पत्र संख्या 7-7 / सत्र-3-2023 दिनांक 15.03.2023 द्वारा नार्कोकोआर्डिनेशन मैकेनिज्म सेन्टर हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- 1- समिति ने अपने संस्थान के आस-पास 100 गज की परिधि के अन्दर तम्बाकू पान, बीड़ी शराब आदि की दुकाने हटाने के लिये विन्याधिकारी को निर्देशित किया है।
- 2- समिति ने अपने सम्पत्ति कार्यालय को निर्देशित किया है कि एक साइन बोर्ड मध्यपान निषेध का बोर्ड पूर्वी एवं दक्षिणी गेट पर यथाशीघ्र लगाने का अनुरोध करती है। जिस पर Quitline Toll Free No- 1800-11-2356 अंकित हो।
- 3- समिति ने छात्रों के प्रहरी क्लब बनाने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक को क्लब बनाकर नशा उन्मूलन कार्य हेतु अधिकृत करने पर अपनी सहमति दी।
- 4- समिति एन0सी0सी0 अधिकारी के माध्यम से कैडेटों के द्वारा नशा विरुद्ध के अभियान चलाने पर अपनी सहमति दी।
- 5- समिति ने यह निर्धारण किया है कि यदि नशा विरुद्ध के अनुपालन में किसी प्रकार की अवहेलना छात्र द्वारा होती है तो उसके विरुद्ध न्याय अधिनियम की धारा-77 व 78 के अन्तर्गत विन्याधिकारी के माध्यम से थाने में प्रथम प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाए।

(प्रो० हरिशकर पाण्डय)
छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष
सं0सं0वि0वि0, वाराणसी।

२०२३-५-२४

छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष – २४.०५.२०२३

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित –

- 1- कुलपति के सचिव, कुलपति महोदय जी को अवलोकनार्थ।
- 2- आशुलिपिक कुलसचिव / वित्ताधिकारी।
- 3- विन्याधिकारी को क्रम सं0 01 एवं 05 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
- 4- सम्पत्ति प्रभारी को इस आशय से प्रेषित पत्र कि क्रम सं0 02 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
- 5- संगणक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना को क्रम सं0 03 के सम्बन्ध में।
- 7- एन.सी.सी. अधिकारी को क्रम सं0 04 के सम्बन्ध में।
- 8- स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेद / ऐलोपैथ।
- 9- सम्बद्ध पत्रावली।

(प्रो० हरिशकर पाण्डय)
छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष
सं0सं0वि0वि0, वाराणसी।

२०२३-५-२४